बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सका0आ0सं0–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024............................/ पटना, दिनांक–

:: सकारण आदेश ::

श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध सामाहरणालय भवन, आरा के निर्माण कार्य में वास्तविक कार्य से अधिक राशि का भुगतान संवेदक को करने आदि आरोपों के संदर्भ में आरोप पत्र गठित किया गया।

2. श्री विनोद बिहारी वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–3171(भ0)अनु0 दिनांक–15.04.2024 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी।

3. श्री वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि सोन बालु एवं स्टोन–चिप्स की ढुलाई में अधिक भुगतान के संदर्भ में उनका नाम अंकित किया गया है, परन्तु संबंधित साक्ष्य, गणना एवं वसूलनीय राशि के संबंध में उनकी सहभागिता संबंधी साक्ष्य नहीं है। श्री वर्मा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सातवे विपत्र में सही माप दर्ज किया गया है, जिसे बाद में छेड़–छाड़ कर अधिक राशि का भुगतान किया गया।

4. श्री वर्मा द्वारा समर्पित/स्पष्टीकरण बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अधिकाय भुगतान का आरोप अन्य पदाधिकारियों पर टालने का मात्र प्रयास किया गया है। उनके द्वारा मापी से छेड़–छाड़ के संबंध कोई स्पष्ट और ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया। अधिकाय भुगतान के संबंध में श्री वर्मा के विरूद्ध ₹1,67,308/–वसूलनीय पाया गया है। स्पष्टतः उक्त मामले में श्री विनोद बिहारी वर्मा की भूमिका भी प्रमाणित है।

5. उपर्युक्त कंडिका–04 में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु विभागीय आदेश संख्या–5113 (भ0) दिनांक–05.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के प्रावधानों कें अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–308 दिनांक–19.03.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री विनोद बिहारी वर्मा के विरूद्ध (1) सोन बालू में अधिक भुगतान करने संबंधी मामला एवं (2) स्टोन चिप्स में अधिक भुगतान करने संबंधी मामला को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–3779(भ0) दिनांक–29.04.2025 द्वारा श्री विनोद बिहारी वर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री वर्मा द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–07.05.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो निम्नवत है :–

कृ0पृ0उ0

श्री वर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उल्लेख किया गया है कि ''संचालन पदाधिकारी द्वारा मापी–पुस्तिका में किसी प्रकार का कटिंग नहीं है, परन्तु मापी–पुस्तिका में छेड़–छाड़ की बात कही गयी है। संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य विधि संगत नहीं है। क्योंकि संबधित मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य विधि संगत नहीं है।''

श्री वर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (14) का अनुपालन नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण का मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया जाना विभिन्न न्यायादेशों एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शन के विपरीत है।

श्री वर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के क्रम में स्वयं स्वीकार किया गया है कि मानवीय भूलवश (1) सोन बालू की ढुंलाई की मात्रा में 285M^3 के स्थान पर 1295M^3 एवं (2) स्टोन चिप्स की ढुंलाई की मात्रा में 570.82M^3 के स्थान पर 2600.10M^3 अंकित हो गया है। इसी आधार पर श्री वर्मा के विरूद्ध अधिकेय भुगतान का आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री वर्मा द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण नही दिया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत है।

7. अतः श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव अभिकथन को विभागीय सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) के तहत **''संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि पर रोक''** का दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

8. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक–21.07.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में सचिव, भवन निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में श्री वर्मा का व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। जिसमें श्री वर्मा द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि भूलवश मापी–पुस्त में वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा अंकित हो गया है।

9. अतः श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

कृ०पृ०उ०

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024........../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024........../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024........../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024........../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(आरा–14/15–G)–01–11/2024 7043(ऊ)/ पटना, दिनांक–28/7/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D//Sanjay Singh//Manish Jee-2024//Adhisuchna. Adesh